



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

पोस्ट हिंदी विश्वविद्यालय, गांधी हिल, वर्धा - (महाराष्ट्र) - 442001

[Website : www.hindivishwa.org]

पानी टैंकर हेतु निविदा

Tender No. : 34/CD/ Water Tanker/2026-27/01

Date : 11.05.2026

विश्वविद्यालय में टैंकर से जलापूर्ति करने हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। इस संदर्भ में निविदा की पूर्ण जानकारी भारत सरकार की वेबसाइट www.eprocure.gov.in एवं विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.hindivishwa.org पर उपलब्ध है।


कुलसचिव

146



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997 क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

Tender No. : 34/CD/Water Tanker/2026-27/ 01

Date : 11.05.2026

पानी टैंकर हेतु निविदा

निविदा प्रपत्र बिक्री की प्रारंभिक तिथि	:	11.05.2026
निविदा प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि	:	25.05.2026 (सायं 4:बजे तक)
निविदा प्रपत्र खुलने की तिथि	:	25.05.2026 (सायं 5:बजे तक)

Tender available on www.eprocure.gov.in & www.hindivishwa.org

TENDER FORM PRICE Rs. 1000/- (अप्रतिदेय)

निविदाकर्ता द्वारा भरे जाने वाली जानकारी

क्र. सं.	विवरण	निविदाकर्ता द्वारा भरे जाने वाला विवरण	संलग्नक क्रमांक
1.	फर्म का नाम एवं पता		
2.	फर्म के Proprietor/Partner का नाम		
3.	मोबाइल नम्बर		
4.	ईमेल आईडी		
5.	फर्म का पंजीकरण क्रमांक व तिथि		
6.	पंजीयन करने वाले विभाग का नाम		
7.	जी.एस.टी. नम्बर		
8.	निविदाकर्ता का पैन नम्बर		
9.	निविदाकर्ता का आधार क्रमांक		
10.	किसी भी सरकारी संस्था में पानी आपूर्ति से संबंधित प्रमाण पत्र (यदि हो)		
11.	तीन वर्षों का आयकर रिटर्न 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25		
12.	श्रमिक का बीमा प्रमाण पत्र (सत्यापित)		
13.	वाहन चालक का बीमा प्रमाण पत्र		
14.	ब्लैक लिस्ट न होने संबंधी शपथ-पत्र		
15.	अन्य प्रमाण पत्र (वाहन से संबंधित आवश्यक दस्तावेज़) 1. वाहन की आर.सी. 2. बीमा प्रमाण पत्र 3. PUC प्रमाण पत्र 4. वाहन का फिटनेस प्रमाण पत्र 5. टैंकर की प्रमाणिक क्षमता		
16.	संलग्न डी.डी. का विवरण	राशि ₹ दिनांक बैंक का नाम शाखा	

आवेदन के साथ संलग्न होने वाले समस्त प्रमाण पत्र स्वसत्यापित हों।

निविदा भरने वाले का हस्ताक्षर एवं मुहर

काली सूची (Black list) में सम्मिलित न होने का शपथपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मुझे/हमें आज की तिथि ----- तक किसी भी मंत्रालय/केंद्र/राज्य सरकार के विभाग, किसी अन्य संगठन/वित्त पोषित एजेंसियों द्वारा ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया है।

भविष्य में किसी भी परिवर्तन की स्थिति में फर्म/एजेंसी तुरंत महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा को अवगत करेगी/कराएगी।

स्थान:

नाम : -----

तारीख:

पदनाम: -----

मोहर

विश्वविद्यालय परिसर में टैंकर के माध्यम से पानी आपूर्ति हेतु निविदा की शर्तें

विश्वविद्यालय के उत्तरी एवं दक्षिणी परिसर में लगे पौधों एवं बगीचों में टैंकर के माध्यम से श्रमिक द्वारा पानी की आपूर्ति हेतु निम्नांकित शर्तों पर निविदा आमंत्रित की जाती है :

1	निविदाकर्ता को संबंधित दस्तावेज की स्वहस्ताक्षरित प्रमाणित प्रतियाँ निविदा के साथ संलग्न करनी होंगी, साथ ही निविदाकर्ता को स्वयं का पैन कार्ड, आधार कार्ड, जी.एस.टी. की साक्ष्यांकित छायाप्रतियाँ संलग्न करनी होंगी।
2	पानी टैंकर के साथ सम्बद्ध वाहन/वाहन चालक का ड्राइविंग लाइसेंस निविदा के साथ संलग्न करना होगा।
3	वाहन चालक एवं श्रमिक के बीमा की संपूर्ण जिम्मेदारी निविदाकर्ता की होगी।
4	बिल की भुगतान प्रक्रिया विश्वविद्यालय के दोनों द्वार तथा उत्तरी परिसर के द्वार पर रजिस्टर में की गई वाहन इंटी का मिलान (आने व जाने) करने के उपरांत की जायेगी।
5	टैंकर से यदि किसी भी प्रकार की दुर्घटना होती है तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी एवं देनदारी निविदाकर्ता की होगी।
6	पानी टैंकर के साथ एक श्रमिक टैंकर में लगी पाइप की सहायता से निर्देशित पौधों एवं लॉन में पानी उपलब्ध कराएगा।
7	टैंकर/ट्रैक्टर के मरम्मत, फिटनेस एवं रखरखाव की संपूर्ण जिम्मेदारी निविदाकर्ता की होगी।
8	आवेदन के साथ समस्त दस्तावेज की छायाप्रति स्वहस्ताक्षरित कर संलग्न करते हुए निविदा प्रपत्र सील बंद लिफाफे (तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा अलग-अलग सीलबन्द लिफाफे में होना अनिवार्य है।) में निम्नांकित पता पर प्रेषित करें। कुलसचिव, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा
9	आवेदक द्वारा लिफाफे पर संपूर्ण पता मोबाइल नम्बर के साथ 'विश्वविद्यालय परिसर में टैंकर के माध्यम से पानी आपूर्ति हेतु निविदा' लिखना अनिवार्य होगा।
10	निविदा दिनांक 11.05.2026 से दिनांक 25.05.2026 सायं 4:00 बजे तक स्वीकार्य है।
11	निविदा दिनांक 11.05.2026 को सायं 05 बजे विश्वविद्यालय द्वारा गठित समिति के समक्ष एवं निविदाकर्ताओं अथवा उनके प्रतिनिधि की उपस्थिति में कुलसचिव कार्यालय में खोली जाएगी।
12	कार्यादेश प्राप्तकर्ता को भारत सरकार/महाराष्ट्र सरकार के श्रम कानूनों, बाल मजदूरी कानूनों, पुलिस एवं आर.टी.ओ. आदि के लाइसेंस संबंधी नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
13	पानी टैंकर क्षमता के अनुसार पूरा भरा होना अनिवार्य है। अन्यथा देय राशि से कटौती की जाएगी।
14	प्रत्येक बार पानी लाते समय ड्राइवर एवं सहयोगी तथा सुरक्षा कर्मी रजिस्टर पर इंटी कर हस्ताक्षर करेंगे तथा समय भी दर्ज करेंगे। इसे सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाएगा।
15	टैंकर सुव्यवस्थित होना अनिवार्य है।

16	यदि किसी कारणवश कार्यादेश प्राप्तकर्ता से जलापूर्ति में विलंब होता है या जलापूर्ति नहीं हो पाती है तो अन्य व्यवस्था करना कार्यादेश प्राप्तकर्ता की जिम्मेदारी होगी।
17	निविदा के साथ संलग्न समस्त दस्तावेज अनुबंध की अवधि तक वैध होने चाहिए।
18	उक्त किसी भी शर्त में परिवर्तन/परिवर्धन/निरस्तीकरण एवं निविदा निरस्त करने का संपूर्ण अधिकार विश्वविद्यालय का होगा।
19	सफल निविदाकर्ता को कार्यादेश जारी होने के एक सप्ताह के भीतर राशि ₹ 500 के स्टैंप पेपर पर विश्वविद्यालय से अनुबंध करना होगा।
20	अनुबंध के उल्लंघन की स्थिति में कार्यादेश प्राप्तकर्ता द्वारा सुरक्षा राशि के रूप में विश्वविद्यालय में जमा ब्याज रहित राशि को जब्त करने तथा संबंधित के विरुद्ध आवश्यकतानुसार विधिक कार्यवाही करने का सर्वाधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित है।
21	अनुबंध की अवधि एक वर्ष के लिए होगी। इसे आपसी सहमति से सक्षमप्राधिकारी की स्वीकृति उपरांत बढ़ाया जा सकता है।
22	अनुबंधकर्ता को आवश्यकतानुसार टैंकर से पानी भवनों की छतों पर रखी हुई टंकियों में भी चढ़ाना होगा।

नोट:- निविदाकर्ता को निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करना आवश्यक है।



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997 क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

विश्वविद्यालय परिसर में टैंकर के माध्यम से पानी आपूर्ति हेतु तकनीकी निविदा

विश्वविद्यालय के उत्तरी एवं दक्षिणी परिसर में लगे पौधों एवं लॉन की सिंचाई तथा आवश्यकतानुसार अन्य कार्यों के लिए पानी आपूर्ति हेतु निम्नांकित शर्तों पर निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा का मूल्य ₹1000/- मांग पत्र वित्ताधिकारी म.गां.अं.हिं.वि., वर्धा के नाम देय होगा।

1. निविदाकर्ता का संपूर्ण विवरण:-

नाम	
पिता का नाम	
मकान संख्या	
मुहल्ला	
तहसील	
थाना	
जिला/प्रदेश, पिन नम्बर	
मोबाइल नम्बर	
ई-मेल	

2. आधार क्रमांक (प्रमाणित प्रति संलग्न)। -----

3. PAN क्रमांक (प्रमाणित प्रति संलग्न)। -----

4. जी.एस.टी. क्रमांक (प्रमाणित प्रति संलग्न)।-----

5. टैंकर के संपूर्ण वैध एवं आवश्यक दस्तावेज।-----

6. टैंकर चालक का ड्राइविंग लाइसेन्स (संलग्न)।-----

7. निविदा शुल्क ₹ 1000/- -----

(निविदा के साथ जमा करना होगा) (वित्ताधिकारी म.गां.अं.हिं.वि., वर्धा (महाराष्ट्र, के पक्ष में)

8. EMD राशि ₹ 20,000/ -----
(निविदा के साथ जमा करना होगा) (वित्ताधिकारी म.गां.अं.हि.वि., वर्धा (महाराष्ट्र, के पक्ष में)

9. Performance Security ₹ 40,000/-
(सफल निविदाकर्ता को कार्यादेश प्राप्ति के 7 दिनों के अन्दर जमा करना होगा)

निविदाकर्ता का हस्ताक्षर

नाम:.....

पता:.....



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997 क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

विश्वविद्यालय परिसर में टैंकर के माध्यम से पानी आपूर्ति हेतु वित्तीय निविदा

प्रति पानी टैंकर ट्रिप दर (₹)							
क्र.	टैंकर की क्षमता/दर	5000 लीटर	6000 लीटर	7000 लीटर	8000 लीटर	10000 लीटर	15000 लीटर
1	पानी सीधे भूमिगत टंकियों में डालने पर।						
2	पानी टैंकर की टंकी से छात्रावास/आवास की टंकियों पर चढ़ाने सहित (पानी चढ़ाने वाला मोटर टैंकर संचालक का हो।)						
3	पौधों एवं क्यारियों में पानी देने पर						
4	दिन में (पूर्वाह्न 10 से सायं 6 के मध्य) पानी भरकर टैंकर रोके रखने पर (प्रति घंटा दर)।						
5	रात में (सायंकाल 06 से पूर्वाह्न 10 बजे तक) पानी भरकर टैंकर रोकने पर (प्रति घंटा दर)।						

निविदाकर्ता का हस्ताक्षर

नाम:.....

पता:.....